राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1555/2025

देवेन्द्र कुमार मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त एवं सचिव, स्वायत शासन विभाग, बाईस गोदाम, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज, बड़ी चौपड़, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 23.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामानुज शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर नगर निगम हैरिटेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से नगर निगम कोटा उत्तर में रिक्त पद पर किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक—2) के द्वारा नगर निगम, कोटा उत्तर के लिए अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का नौ वर्षीय पुत्र थायरोग्लोसल डक्ट सिस (टी.जी.डी.सी.) की बीमारी से ग्रस्ति है (अनुलगनक—3)। जिसकी देखभाल अपीलार्थी को ही करनी पड़ती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 17.01.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर नगर निगम हैरिटेज, जयपुर में ही पदस्थापित रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर नगर निगम हैरिटेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा

अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से नगर निगम कोटा उत्तर में रिक्त पद पर प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में नियमानुसार स्थानान्तरण किया गया है। किसी भी कार्मिक को किसी एक स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को लाभ प्रदान करना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 17.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)